

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर


प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अचलाराम 2. आदाराम पि. विरधाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र बाबू 4. गणेशराम पुत्र रायमल 5. चेतनराम पुत्र दीपा 6. टीलाराम पुत्र राजाराम 7. डूंगराम पुत्र दीपा 8. तगाराम पुत्र विरधाराम 9. पेमाराम पुत्र रायमल 10. बादली पत्नी दीपा 11. भीमाराम पुत्र राजाराम 12. मूलीदेवी पत्नी बाबू 13. मोहनलाल पुत्र राजाराम 14. वरिंजाराम 15. वालाराम पि. रायमल 16. सुरताराम पुत्र विरधाराम जातियान मेघवाल निवासी बनाणियों की ढाणी (बामडला) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. भेराराम पुत्र सवाईराम 2. डूंगराम 3. मोहनलाल पि प्रहलाद 4. मांगाराम पुत्र नवाराम 5. मंगलाराम पुत्र किसनाराम 6. छोगाराम पुत्र केशाराम 7. शेम्भूराम पुत्र राणाराम 8. तेजाराम पुत्र वताराम 9. भारताराम पुत्र तुलछाराम 10. डालूराम पुत्र मनराराम जातियान मेघवाल निवासीगण बनाणियों की ढाणी (बामडला) 11. रामाराम पुत्र सूरताराम जाति दर्जी 12. चौखाराम पुत्र केशाराम 13. गंगाराम पुत्र केशाराम जाति जाट 14. हुकराम पुत्र वेनाराम जाति जाट निवासीगण बनाणियों की ढाणी (बामडला) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।  
राजस्व आवेदन संख्या 124/2022 दिनांक : 19.07.2022

## आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामडला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामडला के मौजा बनाणियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 437/269 रकबा 4.2087 हैक्ट. खसरा संख्या 475/269 रकबा 1.1331 हैक्ट. खसरा संख्या 477/271 रकबा 3.9983 हैक्ट. खसरा संख्या 270 रकबा 0.0971 हैक्ट. खसरा संख्या 268 रकबा 0.0243 हैक्ट. व इसी ग्राम के खसरा संख्या 489/286 रकबा 9.9957 हैक्ट. खसरा संख्या 825/222 रकबा 0.2185 हैक्ट. खसरा संख्या 1065/221 रकबा 0.1619 हैक्ट. के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



(रामजी भाई कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

दिनांक 13/07/22

क्रमांक/भू.अ./2022/ 937-42  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण अचलाराम पुत्र विरधाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण भेराराम पुत्र सवाईराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

(रामजी भाई कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सेड़वा  
(SDO) सेड़वा



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

स्व आवेदन सं. 124/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

## अचलाराम वगैरा बनाम भेराराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक – 19.07.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामड़ला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला के मौजा बनाणियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 437/269 रकबा 4.2087 हैक्ट. खसरा संख्या 475/269 रकबा 1.1331 हैक्ट. खसरा संख्या 477/271 रकबा 3.9983 हैक्ट. खसरा संख्या 270 रकबा 0.0971 हैक्ट. खसरा संख्या 268 रकबा 0.0243 हैक्ट. व इसी ग्राम के खसरा संख्या 489/286 रकबा 9.9957 हैक्ट. खसरा संख्या 825/222 रकबा 0.2185 हैक्ट. खसरा संख्या 1065/221 रकबा 0.1619 हैक्ट. स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामड़ला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला के मौजा बनाणियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 437/269 रकबा 4.2087 हैक्ट. खसरा संख्या 475/269 रकबा 1.1331 हैक्ट. खसरा संख्या 477/271 रकबा 3.9983 हैक्ट. खसरा संख्या 270 रकबा 0.0971 हैक्ट. खसरा संख्या 268 रकबा 0.0243 हैक्ट. व इसी ग्राम के खसरा संख्या 489/286 रकबा 9.9957 हैक्ट. खसरा संख्या 825/222 रकबा 0.2185 हैक्ट. खसरा संख्या 1065/221 रकबा 0.1619 हैक्ट. की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(रामजी भाई कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा  
(SDO) सेड़वा